उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
पं0 दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, निकट ओ0एन0जी0सी0
हैलीपैड,गढीकैन्ट,देहरादून–
248001 फोनः 0135–2559898 फैक्सः 0135–2559988

संख्या- 2634 **/2-2-234/2017-20** **देहरादूनःदिनांक** 27 नवम्बर, **2020**

–::विभागीय विज्ञप्ति::–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पर्यटन मुख्यालय एवं विभिन्न जनपदों में राजस्व एवं अन्य सरकारी विभागों की भूमि पर्यटन विकास हेतु चिन्हित हैं। विभाग द्वारा चिन्हित भूमि को सम्बन्धित राजस्व विभाग, वन भूमि/अन्य विभागों से विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने एवं सम्बन्धित कार्यों हेतु राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त 01 राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी/लेखपाल(राजस्व समन्वयक) की सेवाऐं 01 वर्ष हेतु (जिसे भविष्य में दो और वर्षो के लिए एक–एक वर्ष उपरान्त विस्तारित किया जा सकता है) नियत मानदेय पर आवेदन सील बन्द लिफाफे में आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक ऐसे सेवानिवृत्त राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) अपनी सेवा के विस्तृत विवरण एवं सेवानिवृत्तक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र **दिनांक 18/12/2020 को सांय 05.00 बजे तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढीकैन्ट, देहरादून के पते पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से भेज सकते है। आवेदन पत्र के लिफाफे में ऊपरी भाग पर स्पष्ट रूप से पद का नाम अंकित किया जाना आवश्यक होगा।**

नियत मानदेय पर तैनाती हेतु निर्धारित विस्तृत नियम व शर्तें जिसमें मानदेय आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/सूचनायें उपलब्ध है, विभागीय बेवसाईट ***www.uttarakhandtourism.gov.in*** पर देखी जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त वर्णित सेवाओं हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
पां0 दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढीकैन्ट,
देहरादून–248001 फोनः 0135–2559898 फैक्सः 0135–2559988

संख्या- 2634 /2-2-234/2017-20 देहरादूनःदिनांक 27 नवम्बर, 2020

सेवानिवृत्त राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में नियत मानदेय पर राजस्व समन्वयक के रूप में सेवाये प्राप्त किये जाने हेतु नियम एवं शर्तें।

1–यह नियुक्ति नियत मानदेय/अनुबन्धात्मकता के आधार पर आधारित होगी।

2–सेवानिवृत्ति का मौलिक पद राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी)/लेखपाल होना आवश्यक है।

3–राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी)/लेखपाल के पद से अधिवर्षता सेवानिवृत्त हुये 02 वर्ष अथवा 62 वर्ष तक के सेवानिवृत्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते है।

4–नियत मानदेय पर 01 वर्ष के लिये सेवाये ली जायेंगी, जिसे विभाग द्वारा संतोषजनक कार्य सम्पादन किये जाने के दृष्टिगत एक–एक वर्ष कुल दो वर्ष और विस्तारित किया जा सकता है।

5–नियत मानदेय के रूप में सेवानिवृत्त राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) को रू0–35,000/– का मासिक भुगतान किया जायेगा।

6–उपरोक्त सेवाओं हेतु अभ्यर्थी का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के व्यक्तित्व परीक्षण एवं सेवा अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा।

7–पद पर चयन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी/कार्मिक को आवेदन पत्र के साथ पी0पी0ओ0 (पेंशन भुगतान आदेश) की छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

8–सेवाऐं प्राप्त किये जाने हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को परिषद मुख्यालय पर तैनाती दी जायेगी। मुख्यालय से समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार भूमि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ेगा, जिसकी रिपोर्ट सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

9–सम्पादित किये गये कार्य की प्रमाणिकता होने पर सम्बन्धित अनुभाग द्वारा वास्तविक न्यूनतम देय धनराशि के आधार पर एतद्सम्बन्धी देयक का भुगतान किया जायेगा।

10–नियुक्त कार्मिक/अभ्यर्थी को नियमित रूप से अपनी उपस्थिति पर्यटन मुख्यालय पर देनी होगी।

11–कार्मिकों को अतिआवश्यक कार्य के लिये माह में 01 दिन का अवकाश देय होगा, यदि माह में 01 से अधिक कार्यदिवस में अनुपस्थित पाये जाते है, तो नियत मानदेय में से नियमानुसार कटौती की जायेगी।

12—उक्तवत् की गयी नियुक्ति बिना किसी कारण बताये 01 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

13—सेवाऐं प्राप्त किये जाने हेतु अन्तिम रूप से चयनित अधिकारी/कर्मचारी को विभागीय पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर पर्यटन मुख्यालय पर उपस्थिति देते हुये अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

14—अन्तिम रूप से चयनित अधिकारी/कर्मचारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

15—उपरोक्त सेवाओं के लिये विभाग के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर लिखित में सहमति/अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

16—चयनित कार्मिक के नियत मानदेय से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी